सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 113/11 **निर्णय दिनांकः 10.04.2018**

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी मदिना मस्जिद के पास, सिक्कों का मौहल्ला, बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 15–11–1994
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 15–11–1994 जिसके द्वारा अपीलांट को बंजड़, अकृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक नम्बर 5 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 237/52 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक

15—01—1994 को अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि बंजड़ व ऊँचें टिब्बे होने के कारण काबिल काश्त भूमि नहीं है। उक्त आश्य की टिप्पणी तहसीलदार, पूगल द्वारा भी की गई है कि भूमि अनकमाण्ड तथा मौके पर टीला ऊँचा—नीचा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि की एवज में अन्य भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया जाता रहा है परन्तु अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ रही है। अपीलांट को आवंटित भूमि किसी काम की नहीं है। उक्त भूमि चकों में परिवर्तित होने पर चक 3 केडब्ल्यूएम के रूप में पैमूद हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र लगाया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि के समीप ही चक 5 केडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 237/52 के किला नम्बर 17 ता 19, 21 ता 23 में 6 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 24, 25 में 2 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 216/24 के किला नम्बर 5, 21 ता 25 में 6 बीघा भूमि आवंटन किया जावे। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट भी चाही गई, परन्तु आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो काबिल काश्त नहीं है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक बहाल है। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज किया गया है व ना ही अपीलांट को आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि भूमिहीन काश्तकार को वरियता के आधार पर भूमि आवंटित की जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट को पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कमीपूर्ति में अन्य भूमि आवंटन किये जाने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। अपीलांट के प्रार्थना पत्रों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 के विरूद्व अपील दिनांक 13—07—11 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—01—1994 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 13—07—2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन श्रेणी के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15—01—1994 को अपीलांट को चक 5 एम.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 237/52 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था।

(3) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को आवंटित भूमि बजंड़ व कृषि योग्य भूमि नहीं होने के कारण काबिल काश्त भूमि नहीं है। अपीलांट द्वारा इस आश्य के संबंध में अदालत मातहत के समक्ष कई बार प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे कि अपीलांट को आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि अर्थात अपीलांट को आवंटित भूमि के समीप स्थिति चक 237/25 के किला न म्बर 17 ता 19, 21 ता 23 में 6 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 24, 25 में 2 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 216/24 के किला नम्बर 5, 21 ता 25 में 6 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की जावे।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट भी प्राप्त करने हेतु पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 17—03—2003 को लिखा जा चुका है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित रकबा की मौका रिपोर्ट एवं रिकार्ड के संबंध में अवगत करावें। उक्त रकबे की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा वांछित रकबा पूर्व में ही अन्य व्यक्तियों को आवंटनशुदा रकबा है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता।

(4) प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी में आवंटन का पात्र मानते हुए वादगत् भूमि चक 5 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 237/52 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया था। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को आवंटित भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है तथा मौके पर बंजड़ व ऊँचें टीले बने हुए है। यह तथ्य जॉच का विषय है कि क्या वादगत् भूमि वास्तव में कृषि योग्य भूमि है अथवा नहीं? अपीलांट द्वारा भी अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य के प्रार्थना पत्र समय समय पर प्रस्तुत किये जा चुके है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के मौके की जॉच करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर